न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न	तारीख दायरा	तारीख फैसला
65/2023	21/06/2023	28/06/2023

मुकेश कुमार पुत्र देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– वादी

बनाम

1. देवकरण पुत्र भोलू जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. जानकीलाल पुत्र देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. रामविनोद पुत्र देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. हेमलता पुत्री देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. रेखा पुत्री देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खेडलीदेव पटवार हलका गंडावद तह. पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 – 2076 की खाता संख्या 32 में खसरा संख्या 289 रकबा 0.04है0, खसरा संख्या 290 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 297 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 9 रकबा 2.95है0, कुल 4 किता की 3.01है0 तथा ग्राम खेडलीदेव पटवार हलका गंडावद तह. पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 – 2076 की खाता संख्या 31 में खसरा संख्या 105 रकबा 1.12है0, खसरा संख्या 111 रकवा 0.82है0, खसरा संख्या 120 रकबा 0.82है0 कुल किता 3 कुल रकवा 2.76है0 कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि में सहदायिक हित उत्पन्न हो गया है व वादी–प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने निहित हिस्से की भूमि पर खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक से बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकार है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण मीना जाति के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अर्न्तगत है एवम् अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दू विधि से शासित होते हैं, जिसके अधीन विवादित भूमि में वादीगण के मुकाबले (विरूद्ध), प्रतिवादी क्रम 4, 5 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं है। क्योंकि मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। उन्हें केवल मात्र प्रतिवादी क्रम 1 की संतान होने के कारण ज्ञान की दृष्टि से प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वे किसी भी प्रकार अनुतोष हेतु योग्य नहीं होने से उनके विरूद्ध कोई अनुतोष वांछित नहीं है। प्रतिवादी क्रम 2 जानकीलाल पुत्र देवकरण को खसरा संख्या 194 रकबा 3.28है0, प्रतिवादी क्रम 3 रामविनोद पुत्र देवकरण को खसरा संख्या 194/387 रकबा 3.28है0, पूर्व में ही विभाजन में दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से विवादित भूमि में स्वयं के हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक् से विभाजन करवाये। तदर्थ वाद प्रस्तुत है। वादी अपने निहित हिस्से के अनुरूप ही विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादी को भू–सुधार एवम् कृषि विकास हेतु , कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से देवकरण के खाते की भूमि में स्वयं के हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक् से विभाजन करवाये तदर्थ वाद प्रस्तुत है। वादी द्वारा उनके निहित हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी क्रम 1 से निवेदन किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार कर दिया गया इसलिए वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद प्रस्तुत करना पडा है। प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी. क्रम संख्या 4 तहसीलदार पीपल्दा को भू – धारक होने आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध वाद लाने के लिये धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को विवादित भूमि पर कृषि कार्य करने में लगातार बाधा एवम् व्यवधान उत्पन्न करने पर आमादा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रम संख्या 4 तहसीलदार पीपल्दा के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80(2) दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक् से प्रस्तुत है। वाद कारण माह मार्च' 2023 के प्रथम सप्ताह में वादी द्वारा उनके हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी क्रम 1 से निवेदन

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

करने पर उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ।वाद नियत न्याय – शुल्क 1रू0 पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। न्यायालय श्रीमान को वाद का श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी को निहित हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार भूमि को विधिवत् विभाजित किया जावे। जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लठ्ठा में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कृषि – कार्य में किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर दावे के कथनों तथ्यों को स्वीकार करते हुये कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि प्रतिवादीक्रम 2 व 3 को पारिवारिक व्यवस्थापन के तहत पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। वादी तथा प्रतिवादीगण मीना जाति के सदस्य होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दू विधि से शासित होते है, जिसके अधीन विवादित भूमि में वादी के मुकाबले (विरूद्ध), प्रतिवादी क्रम 4, 5 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं है। क्योंकि मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। वादी ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 289 रकबा 0.04है0, खसरा संख्या 290 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 297 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 9 रकबा 2.95है0 कुल किता 4 की कुल रकबा 3.01है0 कृषि आराजी पारिवारिक विभाजन में प्राप्त कर स्वयं के खाते दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अन्त में दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

इसी स्टेज पर उपस्थित सभी पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि

ग्राम खेडलीदेव की खाता संख्या 32 में खसरा संख्या 289 रकबा 0.04है0, खसरा संख्या 290 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 297 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 9 रकबा 2.95है0 कुल किता 4 की कुल रकबा 3.01है0 कृषि भूमि तथा खाता संख्या 31 में खसरा संख्या 105 रकबा 1.12है0, खसरा संख्या 111 रकबा 0.82है0, खसरा संख्या 120 रकबा 0.82है0, कुल किता 3 की कुल रकबा 2.76है0 कृषि भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि में सहदायिक हित निहित है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि प्रतिवादीक्रम 2

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

व 3 को पारिवारिक व्यवस्थापन के तहत पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। वादी तथा प्रतिवादीगण मीना जाति के सदस्य होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दू विधि से शासित होते है, जिसके अधीन विवादित भूमि में वादी के मुकाबले (विरूद्ध), प्रतिवादी क्रम 4, 5 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं है। क्योंकि मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। आपसी समझाईश तथा लोक न्यायालय की प्रेरणा से वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का समझौता कर लिया गया है कि

(1) ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 289 रकबा 0.04है0, खसरा संख्या 290 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 297 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 9 रकबा 2.95है0 कुल किता 4 की कुल रकबा 3.01है0 कृषि आराजी वादी के खाते दर्ज कर दी जावें।

(2) ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 105 रकबा 1.12है0, खसरा संख्या 111 रकबा 0.82है0, खसरा संख्या 120 रकबा 0.82है0, कुल किता 3 की कुल रकबा 2.76है0 कृषि आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते यथावत दर्ज रहेगी।

अन्त में राजीनामा पेश कर बरुवे राजीनामा निर्णय एवम् डिक्री पारित कर भूमि वादी के खाते में दर्ज करने हेतु तहसीलदार तहसील पीपल्दा को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व राजीनामा का अवलोकन किया गया। दावा बरूवे राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी बरूवे राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 289 रकबा 0.04है., खसरा संख्या 290 रकबा 0.01है., खसरा संख्या 297 रकबा 0.01है., खसरा संख्या 9 रकबा 2.95है. कुल किता 4 की कुल रकबा 3.01है. कृषि आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा।

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न	तारीख दायरा	तारीख फैसला
65/2023	21/06/2023	28/06/2023

मुकेश कुमार पुत्र देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– वादी

बनाम

1. देवकरण पुत्र भोलू जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. जानकीलाल पुत्र देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. रामविनोद पुत्र देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. हेमलता पुत्री देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. रेखा पुत्री देवकरण जाति मीना निवासी खेडलीदेव तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है अन्त में राजीनामा पेश कर बरुवे राजीनामा निर्णय एवम् डिक्री पारित कर भूमि वादी के खाते में दर्ज करने हेतु तहसीलदार तहसील पीपल्दा को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व राजीनामा का अवलोकन किया गया। दावा बरूवे राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अतः दावा वादी बरूवे राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम खेडलीदेव की खसरा संख्या 289 रकबा 0.04है., खसरा संख्या 290 रकबा 0.01है., खसरा संख्या 297 रकबा 0.01है., खसरा संख्या 9 रकबा 2.95है. कुल किता 4 की कुल रकबा 3.01है. कृषि आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से दिनांक 28/06/2023 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा